

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-

राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल,
आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :- 19/2012

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ।

-बनाम-

भंवरलाल पुत्र गिरधारी लाल मेघवाल, निवासी वार्ड न0 13, मण्डावा, पुलिस थाना मण्डावा,
जिला झुंझुनू।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3/2 खण्ड (ख)(5)
राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :-

1. श्री सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) -----सरकार की ओर से।
2. श्री राजकुमार सैनी -----गैर सायल की ओर से।

-निर्णय-

दिनांक 27.02.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ने दिनांक 29.08.2012 को गैर सायल भंवरलाल पुत्र गिरधारी लाल मेघवाल, निवासी वार्ड न0 13, मण्डावा, पुलिस थाना मण्डावा, जिला झुंझुनू के खिलाफ इस्तगासा पेश किया कि भंवरलाल पुत्र गिरधारी लाल मेघवाल, निवासी वार्ड न0 13, मण्डावा, पुलिस थाना मण्डावा, जिला झुंझुनू का रहने वाला है जो एक अपराधिक मनोवृत्ति का बदमाश व्यक्ति है। यह कस्बा मण्डावा में एक गुट बनाकर जुआ-सट्टा का धन्धा करता है तथा अनावश्यक ही अपराधिक गतिविधियों से कस्बा बुहाना एवं आस-पास के इलाका में आम नागरिकों को भयभीत व आतंकित कर रखा है, इसकी अपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, जिसके द्वारा जुआ सट्टा के अपराध में लोगों को फंसाया जा रहा है। इसके डर से कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर सूचना या रिपोर्ट देने से डरता है तथा ना ही कोई गवाही देने के लिए तैयार है। इसकी आपराधिक गतिविधियों से युवा पीढ़ी व समाज पर विपरीत असर पड़ रहा है। इसके खिलाफ अब तक 3 अभियोग दर्ज किये गये हैं जिनमें न्यायालय द्वारा अपराधी मानकर दण्डित किया गया है। इसके जिले की सीमाओं में रहने से अपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराध एवं दोषसिद्धि का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. अभियोग संख्या 47/2007 दिनांक 09.06.2007 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना मण्डावा, झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 35/07 दिनांक 12.06.2007 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने

48
जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू

- निर्णय दिनांक 23.06.07 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 50 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
2. अभियोग संख्या 14/08 दिनांक 06.02.08 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना मण्डावा, झुन्झुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 04/08 दिनांक 07.02.08 किता कर न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.02.08 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 50 रु. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
 3. अभियोग संख्या 25/2010 दिनांक 07.03.2010 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना मण्डावा, झुन्झुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 10/10 दिनांक 09.03.2010 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.03.10 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 50 रु. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार उक्त भंवरलाल पुत्र गिरधारी लाल मेघवाल, निवासी वार्ड न० 13, मण्डावा, पुलिस थाना मण्डावा, जिला झुन्झुनू का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3/2 के खण्ड (ख) उपखण्ड (5) की परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें।

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर तलब किया गया तथा दिनांक 17.09.2012 को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम का सारांश सुनाया गया, जिसे इन्कार करने पर गवाह श्री भगवान सहाय तत्कालीन उ०नि० थानाधिकारी, (थाना मलसीसर, पेश इस्तगासा) थाना मण्डावा, झुन्झुनू श्री देवेन्द्र कुमार मुख्य आरक्षी 121, थाना मण्डावा, झुन्झुनू श्री रेखाराम मु. न. 121, थाना मण्डावा, झुन्झुनू व श्री शेरसिंह मुख्य आरक्षी 06, थाना मण्डावा, झुन्झुनू के बयान लिए जाकर बहस अन्तिम सुनी गई।

विद्वान वकील गैर सायल का तर्क है कि किसी व्यक्ति विशेष की कोई शिकायत नहीं है तथा स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करने पर न्यायालय नें दोषी माना है। पुलिस द्वारा अभियान चलाकर आरपीजीओ अधिनियम के अपराध का कोटा पूर्ति हेतु गैरसायल के खिलाफ चालान किया है। जनता को गैर सायल से कोई भय नहीं है तथा अब ताजा किसी प्रकार का कोई प्रकरण गैर सायल के विरुद्ध दर्ज नहीं हुआ है। अतः गैरसायल के विरुद्ध विचाराधीन इस्तगासा झोप फरमाया जावे।

दौराने बहस विद्वान एपीपी-1 ने बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना मण्डावा, झुन्झुनू में निम्न अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं-

१४
श्री. जिला मजिस्ट्रेट
झुन्झुनू

1. अभियोग संख्या 47/2007 दिनांक 09.06.2007 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना मण्डावा, झुन्झुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 35/07 दिनांक 12.06.2007 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.06.07 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 50 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
2. अभियोग संख्या 14/08 दिनांक 06.02.08 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना मण्डावा, झुन्झुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 04/08 दिनांक 07.02.08 कित्ता कर न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.02.08 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 50 रु. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
3. अभियोग संख्या 25/2010 दिनांक 07.03.2010 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना मण्डावा, झुन्झुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 10/10 दिनांक 09.03.2010 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.03.10 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 50 रु. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधि० 1975 की धारा 2 खण्ड (ख) के उपखण्ड (5) में अंकित धारा के अधीन 3 बार दोषसिद्ध होने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसे झुन्झुनू जिले से निष्कासित किया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक गैरसायल भंवरलाल पुत्र गिरधारी लाल मेघवाल, निवासी वार्ड न० 13, मण्डावा, पुलिस थाना मण्डावा, जिला झुन्झुनू के खिलाफ पुलिस थाना मण्डावा, झुन्झुनू में अभियोग संख्या 47/2007 दिनांक 09.06.2007 धारा 13 आरपीजीओ, अभियोग संख्या 14/08 दिनांक 06.02.08 धारा 13 आरपीजीओ अधि० एवं अभियोग संख्या 25/2010 दिनांक 07.03.2010 धारा 13 आरपीजीओ अधि० में पुलिस थाना मण्डावा, झुन्झुनू में दर्ज हुई थी, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत हुई है। इसकी चार्जशीट न्यायालय में पेश हुई थी। जिनमें सिविल न्यायालय ने दिनांक 23.06.2007, 13.02.2008 व 10.03.2010 को गैरसायल भंवरलाल को दोषी मानकर परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देकर 50-50/-रुपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया है। गैर सायल भंवरलाल पुत्र गिरधारी लाल राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत 3 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। जिसका लगातार ऐसा राज० गुण्डा अधिनियम के तहत अपराध करना आवश्यक नहीं है। धारा 8 के अनुसार ऐसे प्रकरणों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान

लागू नहीं होते हैं तथा साक्ष्य का प्रोबेटिव वेल्यू होने के कारण उक्त दस्तावेज सम्पुष्टि के लिए पर्याप्त है। अतः प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्जकर्ता व चालान पेशकर्ता का आकर साबित करना आवश्यक नहीं है तथा राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियम 3 के अनुसार पुलिस अधीक्षक की लिखित सूचना पर धारा 3 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैरसायल यदि इस जिले में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधो की पुनरावृत्ति में पुनः लगकर युवा पीढी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हे दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान माल को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 (ख) (II) में अंकित विश्वास के कारणों के कारण गैरसायल भंवरलाल को इस जिले से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूं।

अतः गैरसायल भंवरलाल पुत्र गिरधारी लाल मेघवाल, निवासी वार्ड न0 13, मण्डावा, पुलिस थाना मण्डावा, जिला झुन्झुनू को राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(ख) (II) के तहत 15 दिवस की अवधि के लिए झुन्झुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असमाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहेगा तथा गैर सायल भंवरलाल पुत्र गिरधारी उक्त 15 दिवस की निष्कासित अवधि मे जहाँ भी निवास करे, उस स्थानीय थानाधिकारी को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर उस स्थान की सूचना पुलिस थाना मण्डावा झुन्झुनू को देंगे तथा थानाधिकारी थाना मण्डावा, उचित पते की सूचना प्राप्त होने पर गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। यह निर्णय दिनांक 27.02.2020 के पश्चात 15 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।



48
11.03.2020

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

98
11.03.2020

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू